

कार्यालय -जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार।

अधिसूचना सूचना -01 /2024

पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं

(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कटिहार के द्वारा कुल 100 रिक्त पदों के विरुद्ध पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन करने हेतु आवेदन का प्रपत्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या सिविल कोर्ट कटिहार के आधिकारिक वेबसाइट- <https://katihar.dcourts.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन करने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना आवश्यक है :-

- आवेदन “सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, कटिहार 854109” के पता पर स्वीकार किए जायेंगे।
- आवेदन सूचना की तिथि से लेकर दिनांक 29.05.2024 तक ही स्वीकार किए जायेंगे।

कौन आवेदन दे सकता है – कटिहार एवं इसके अनुमंडल अंतर्गत ऐसे व्यक्ति (महिला /पुरुष /अन्य) जो बिना किसी आर्थिक लाभ के सामाजिक कमज़ोर वर्गों एवं वंचितों के उत्थान में रुचि रखते हैं या उनके लिए स्वेच्छिक सेवा करना चाहते हैं, जैसे सेवानिवृत शिक्षक सहित सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी / वरिष्ठ नागरिक/ M.S.W. छात्र एवं शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डाक्टर, छात्र और विधि के छात्र (जिनका अधिवक्ता के रूप में नामांकन नहीं है), गैर- राजनितिक सेवा उन्मुख गैर -सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य स्वयं सहायता समूह मैत्री समूह जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति जो अपनी स्वेच्छा से दुसरों की सेवा में रुचि रखते हों तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार पीएलबी के रूप में पहचाने जाने के लिए उपयुक्त समझे। पूर्व में चयनित पारा विधिक स्वयं सेवक (अधिवक्ता छोड़कर) भी पुनः आवेदन दे सकते हैं।

पारा विधिक स्वयं सेवक के कार्य :- पारा विधिक स्वयं सेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य करना प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सहायता केंद्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य करना जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा निर्देशित किया जाय।

पदों की संख्या :- जिला विधिक सेवा प्राधिकार घटना के अंतर्गत अधिकतम पीलबी की संख्या 100 है। इस संबंध में अंतिम निर्णय जिला विधिक सेवा प्राधिकार कटिहार का होगा। (कटिहार जिला एवं इसके अनुमंडल के अंतर्गत पारा विधिक स्वयं सेवकों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जाएगा।)

आरक्षण :- क्योंकि पारा विधिक स्वयं सेवक को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है। अतः पदों पर प्रतिनियुक्ति में कोई आरक्षण नहीं है। स्कीम के अनुरूप सभी वर्गों (महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग आदि) को प्रप्त्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यह चयन एक वर्ष के लिए है।

उम्र सीमा :- न्यूनतम 18 वर्ष।

शैक्षणिक योग्यता :- मैट्रिक अथवा समकक्ष।

मानदेय :- पी0एल0वी0 के कार्य का कोई वेतन नहीं है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश के आलोक में वर्तमान में प्रत्येक कार्य दिवस हेतु 500/- (पाँच सौ रुपया) प्रतिदिन का मानदेय निर्धारित है जो प्रत्येक कार्य दिवस हेतु होगा तथा यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए देय होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें विशेष कार्य हेतु निर्देशित करती हैं या स्वयं सेवक अपने क्षेत्र से किसी व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान करता है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है।

पी0एल0वी0 का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा, जो पी0एल0वी0 के रूप में अपनी सेवाओं से प्राप्त होने वाली आय को नहीं देखते हैं, लेकिन उनके पास करुणा, सहानुभूति और सामाजिक उत्थान के लिए संवेदनशील होने के साथ-साथ समाज में जलरतमदों और कमज़ोर वर्गों की सहायता करने की मानसिकता होनी चाहिए।

पात्रता /योग्यता :- 1. आवेदक भारत का नागरिक हो 2. शारिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो 3. अच्छा चरित्र हो 4. समाज सेवा में रुचि रखता हो 5. किसी अपराधिक मामले का आरोपी /दोष सिद्ध न हो।

आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र लगाकर साथ ही स्वपता लिफाफा 25 रु0 का डाक टिकट चिपकाकर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में पंजीकृत डाक से अंतिम तिथि 29.05.2024 को समय 5.00 बजे अपराहन तक भेजे। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा एवं अपूर्ण /अधूरे आवेदन को बिना किसी कारण बताए अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आवेदन भेजने का पता :- सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, कटिहार, पिन सं0 – 854109 आवेदन के

पारा विधिक स्वयं सेवको का चयन साक्षात्कार के माध्यम से चयन समिति द्वारा किया जाएगा एवं चयन के संबंध में अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

नोट:- आवेदक, विहित प्रपत्र सिविल कोर्ट कटिहार के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही साक्षात्कार एवं चयन से संबंधित आधिकारिक सूचना हेतु संबंधित वेबसाइट- <https://katihar.dcourts.gov.in> को देख सकते हैं।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कटिहार
०९६५८२९

पारा विधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित है

(पारा विधिक स्वयं सेवक में चयन नियुक्ति नहीं है। आप किसी स्थायी/अस्थायी/अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार में सहयोग देने हेतु स्वयं सेवक है।)

1. नाम-

2. पिता का नाम-

3. वर्तमान पता-

4. स्थायी पता(मोबाइल नंबर सहित)

स्व अभिप्रमाणित
फोटो

5. जन्म तिथि-

6. शैक्षणिक योग्यता-

(यदि कार्य अनुभव हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)

7. आवेदक किस श्रेणी से है यथा(सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/महिला)-

8. आवेदक निम्न में से किस श्रेणी का है-

1. शिक्षक(कार्यरत/सेवानिवृत)

2. सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी

3. सामाजिक विज्ञान स्नातकोत्तर/शिक्षक

4. आगनबारी सेविका/चिकित्सक

5. छात्र/विधि अध्यनरत छात्र(जब तक कि उसका अधिवक्ता के रूप में पंजीयन नहीं हुआ हो)

6. किसी गैर राजनितिक संगठन NGO/उसका सदस्य/सामाजिक कार्य से जुड़ा

7. महिला स्वयंसेवक समूह एवं अन्य विशेष समुदाय की महिला

8. अन्य

9. आवेदक के विरुद्ध लंबित मुकदमा में आवेदनकर्ता(आवेदक/विपक्षी) क्या है

(यदि मुकदमा लंबित है तो न्यायालय का नाम तथा अपराध कि धराए/आवेदक जमानत पर है या नहीं)

10. आवेदक को किसी न्यायालय से दोष सिद्ध किया गया है/आवेदक किसी मामले में फरार चल रहा है

तिथि :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर

जिला विधिक सेवा प्राधिकार ,कटिहार

पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु

साक्षात्कार पत्र

(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

क्रमांक(कार्यालय उपयोग के लिए)

(आवेदक द्वारा भरा जाएगा)

स्व अभिप्रामाणित
फोटो

1 आवेदक का नाम :

2 पिता /पति का नाम :

3. जन्म तिथि :

4. स्थायी पता :

5. पत्राचार पता(मोबाइल न. सहित) ;

जिला:..... राज्य..... पिन कोड..... मोबाइल नंबर

आवेदक का हस्ताक्षर

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

साक्षात्कार की तिथि:..... समय :..... स्थान :.....

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकार